



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**शुद्धि-पत्र**

**विज्ञापित संख्या - 56/2014**

एतद् द्वारा विज्ञापित संख्या 51/2014 के क्रम में सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निविदा की शर्त में निम्नरूप से संशोधन किया जाता है:-

- 1) निविदा की कंडिका "ख" (4) में अंकित "तीन साल पूर्व सिलार्डवाली उत्तरपुस्तिका" को विलोपित मानते हुए "उत्तरपुस्तिका का नमूना" पढ़ा जाय।
- 2) निविदा की कंडिका "घ" (8) में अंकित "उत्तरपुस्तिकाओं के धागों के साथ निर्माण से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं का नमूना एवं कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र" के स्थान पर "उत्तरपुस्तिकाओं के धागे से सिलार्ड अथवा अन्य अभिलेख यथा- डायरी, पुस्तक, पासबुक आदि के सिलार्ड से संबंधित कार्यों के अनुभव का साक्ष्य एवं नमूना" पढ़ा जाय।

शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

( मोहन चाँद मुक्तिम )

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/भंडार/4718/14/SECY/465/14,

Dt. 08.09.2014

D.O.P : 09.09.2014